

चेक लिस्ट कमांक - 26

प्रपत्र-3

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत प्रेषित किये जाने वाले प्रस्ताव
पर वन संरक्षक/वनमण्डलाधिकारी का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन

1	परियोजना का नाम	एन.एच.-149वी, के चांपा - कोरबा-छुरी-कटघोरा में चांपा से उरगा (0+000 से 38+150) तक 4 लेन चौड़ीकरण कार्य			
2	आवेदक /आवेदक विभाग का नाम	परियोजन निर्देशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बिलासपुर			
3	गैर वानिकी कार्य जिस हेतु वन भूमि की मांग	एन.एच.-149वी, के चांपा - कोरबा-छुरी-कटघोरा भाग में चांपा से उरगा (0+000 से 38+150) तक 4 लेन चौड़ीकरण कार्य			
4	आवेदित क्षेत्र की स्थिति	जिला	वनमण्डल	कार्य स्थल	
		कोरबा	कोरबा	ग्राम - बंजारी, उरगा	
5	वन भूमि का विस्तृत विवरण				
	क. आरक्षित वन	निरंक			
	ख. सीमांकित संरक्षित वन	निरंक			
		निरंक			
	ग. आरंज वन	परिक्षेत्र	कक्ष कमांक/रकबा	आवेदित रकबा (हे. में)	साईट क्वालिटी
	घ. राजस्व वन भूमि	कोरबा	67	2.520	
		करतला	5	0.300	
		Total		2.820	
6	आवेदित वन क्षेत्र में वनों की वर्तमान स्थिति प्रकार	मध्यम			
7	आवेदित क्षेत्र में वृक्षों का विवरण	निरंक			
8	आवेदित क्षेत्र में प्राकृतिक पुनरुत्पादन की स्थिति	निरंक			
9	आवेदित क्षेत्र की (विशेष कर खनिज प्रकरणों में) मुख्य मार्ग से (पी.डब्ल्यू.डी./वनमार्ग आदि) से दूरी (जिसे स्पष्ट रूप से मानचित्र में भी अंकित करें)	प्रत्यावर्तित स्थल आवेदित क्षेत्र से लगा हुआ है।			

	से मानचित्र में भी अंकित करें)	
10	क्या आवेदित क्षेत्र किसी Ecological Sensitive क्षेत्र (राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, बायो स्फेयर रिजर्व, प्राकृतिक झील/वाटर बॉडी, आदिवासी सेटलमेंट क्षेत्र, धार्मिक स्थल) की सीमा के 5 वर्ग कि.मी. के अंतर्गत है अथवा नहीं? यदि हां तो संक्षिप्त विवरण प्रतिवेदित करें।	नहीं
11	आवेदित वनक्षेत्र के अलावा अन्य गैर वन क्षेत्र विकल्प के रूप में प्रस्तावित गैर वानिकी कार्य हेतु उपलब्ध है अथवा नहीं (विशेष कर खनिज उत्खनन प्रकरणों में आवेदित क्षेत्र के आसपास के 20 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में गैर वनक्षेत्र का निरीक्षण कर जिलाध्यक्ष / भारत सरकार / राज्य सरकार द्वारा पूर्व स्वीकृत खदानों की संख्या बतावें एवं उसे मानचित्र पर भी दर्शाया जावे।)	नहीं
12	आवेदित क्षेत्र में आवेदक द्वारा अधिनियम का उल्लंघन किया गया है या नहीं? यदि हां तो संक्षिप्त विवरण दें।	नहीं

प्रमाण पत्र

उपरोक्त जानकारी/विवरण मेरे द्वारा किए गये भौतिक निरीक्षण के आधार पर है। आवेदक द्वारा मांग की गई वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु अनुशंसा की जाती है।

निरीक्षण स्थल - 19/11/20

दिनांक - 12/12/20

वनमण्डलाधिकारी
कोरबा वनमण्डल कोरबा